(42)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / 58 / डी.एड. नवीन संबद्धता / / 2007, भोपाल, दिनांक 21 / 2 / 2007

प्रति,

प्राचार्य,
आनंद इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 30-32,
न्यू एम.एल.ए. कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषय :- वर्ष 2006-07 की डी.एड. परीक्षा हेतु मण्डल की संबद्धता।
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2006

---0---

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा सत्र 2006-07 के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र., राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद की अनुमति के आधार पर निम्न शर्तों के अन्तर्गत संबद्धता प्रदान करता है :

1. राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद की अनुमति प्राप्त होने के आधार पर मण्डल द्वारा निर्धारित फार्म व शुल्क 31 अक्टूबर तक प्राप्त होने पर ही मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष नवीनीकरण संबद्धता जारी की जावेगी।
2. संस्था में डी.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिये राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मूलभूत सुविधायें जैसे कि भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, टीचिंग स्टॉफ एवं अन्य व्यवस्थायें होना चाहिये।
3. संस्था द्वारा छात्रों को डी.एड. में प्रवेश, राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं समय समय पर प्रसारित आदेशों के अन्तर्गत ही दिया जावेगा।
4. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कुल स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिये भी स्थान आरक्षित रखना होगें।
5. प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष होगी जिसमें प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ही डी.एड. के द्वितीय वर्ष में संस्था द्वारा प्रवेश दिया जा सकेगा।
6. प्रत्येक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में कम से कम 150 दिन सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिये आवश्यक होंगे इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को 30 दिन का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्रदान करना होगा।
7. प्रायोगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
8. प्रशिक्षण संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ मातृ भाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के आधुनिक तरीकों से अवगत करायें।
9. संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये आवश्यक योग्यता वाला पर्याप्त स्टॉफ नियुक्त करना होगा। एक प्रशिक्षण प्रमुख, स्नातकोत्तर (प्रथम श्रेणी) में एवं बी.एड. की उपाधि धारित करता हो। उसे पांच वर्ष का प्रशिक्षण संबंधी अनुभव हो तथा पर्याप्त मात्रा में स्नातकोत्तर एवं बी.एड. उपाधि धारित व्याख्याताओं की व्यवस्था करना होगा।
10. संस्थाओं को प्रशिक्षण स्टॉफ के साथ-साथ प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण आनुषंगिक व्यवस्था के लिये आवश्यक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी व्यवस्था करनी होगी।

11. संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश आयुक्त राज्य शिक्षा जारी आदेश क्रमांक डी.एड./2004/2319 दिनांक 12.7.2004 निर्धारित नियमों व समय-समय पर बाद में उसमें दिये गये संशोधनों के अनुसार दिया जावेगा।
12. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर यदि यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है तो संबंधित संस्था की संबद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
13. प्रत्येक संस्था को संबद्धता का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा जिसके लिये आवेदन करने पर मण्डल द्वारा निरीक्षण कराया जावेगा और निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर तथा सभी मापदण्डों को पूर्ण करने की शर्त पर ही मण्डल द्वारा संस्था की संबद्धता का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
14. संस्था को संबद्धता देने अथवा उसका नवीनीकरण करने के संबंध में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल का आदेश अंतिम होगा।
15. आगामी वर्ष 2007-08 के लिए आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2007 तक अनिवार्य रूप से जमा करेगें।

(नीरज दुबे) 21.2.07
अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / 51 / मान्यता / 2007, भोपाल, दिनांक 21 / 2 / 2007

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय,माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(नीरज दुबे) 21.2.07
अतिरिक्त सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
भोपाल